बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री संदीप कुमार ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णिया (सम्प्रति निलंबित) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा गठित धावा दल द्वारा दिनांक–02.08.2016 को परिवादी मो॰ महबूब आलम, पे॰–स्व॰ नजमूल हसन, सा॰–दुबौली, थाना–डगरूआ, जिला–पूर्णिया से 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये थे एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–076/2016 दिनांक–03.08.2016 धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र॰नि॰अधि॰–1988 दर्ज किया गया है। यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1)(i),(ii), (iii) के प्रतिकूल है।

अतएव यह निर्णय लिया गया है कि संदीप कुमार ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णिया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र (प्रपत्र–'क') में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री जे॰जे॰ आलम, अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

3. श्री ठाकुर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प के प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप–पत्र (प्रपत्र–'क') की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी/ श्री जे॰जे॰ आलम, अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री संदीप कुमार ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णिया सम्प्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....
08/नि॰को॰(रा॰)निग॰–102/2016

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री जे॰जे॰ आलम, अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री संदीप कुमार ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णिया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना/
2–संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना को संकल्प की एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि आरोपित पदाधिकारी को संकल्प का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1805/अप॰शा॰, दिनांक–10.08.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :2955 / पटना, दिनांक :12.09.2017

प्रतिलिपि :– अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई॰ टी॰ मैनेजर, प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

08.9.17

सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

1
GP
8-9-17

जाँच–पत्र

1. क्या आरोप–पत्र बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप–पत्र का गठन विनियमावली, 2011 के अनुसार और उसमें विहित किये गये प्रपत्र में एवं सही ढ़ंग से तैयार किया गया है तथा प्रत्येक आरोप सुस्पष्ट है ? –हाँ
2. क्या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) की अपेक्षाओं के अनुसार आरोपित पदाधिकारी/कर्मचारी को आरोप–पत्र की एक प्रति, लांछनों के अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूची आदि उपलब्ध करा दी गयी है ? –हाँ
3. क्या उक्त नियमावली के नियम–17(4) के अनुसार बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त कर लिया गया है ? –नहीं
4. क्या बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी है और समीक्षोपरान्त निष्कर्ष निकाला गया है ? –उपरोक्त के अनुसार।
5. क्या उक्त नियमावली के नियम 17(6) के अनुसार वांछित कागजात मूल रूप में संलग्न किये गये हैं ? –हाँ
6. क्या विभागीय कार्यवाही चलाने एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रासंगिक नियम का संदर्भ आदेश/अधिसूचना/संकल्प में किया गया है ? –हाँ
7. क्या आदेश/अधिसूचना/संकल्प पर हस्ताक्षरकर्त्ता पदाधिकारी ने हस्ताक्षर के पूर्व उपर्युक्त अपेक्षाओं की जाँच करा ली है और वे संतुष्ट हैं ? –हाँ

8.9.17

08.9.17

(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

आरोप–पत्र

प्रपत्र–"क"

1. पदाधिकारी का नाम : श्री संदीप कुमार ठाकुर
2. पदनाम : तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णिया सम्प्रति निलंबित।
3. वेतनमान्/ग्रेड पे : 15600–39100 + ग्रेड पे– 6600/–
4. समूह : "क"
5. जन्म तिथि : 15.09.1961
6. सेवानिवृत्ति की तिथि : 30.09.2021
7. आरोप :

क्र॰ सं॰	आरोप का संक्षिप्त विवरण	आरोप का विवरण	साक्ष्य
1	2	3	4
1॰	नियम विरूद्ध कार्य करना	परिवादी मो॰ महबूब आलम, पिता–स्व॰ नजमूल हसन, ग्राम+पोस्ट–दुबौली, प्रखण्ड–डगरूआ, जिला–पूर्णियाँ दुबौली पैक्स प्रखण्ड, डगरूआ, जिला–पूर्णियाँ के पैक्स प्रबंधक को वर्ष 2013–14 में सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 16.12.14 को राईस मिल–सह–गैसीफायर के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी । जिसके तहत ये भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर मिलिंग का कार्य कर रहे हैं । इनके द्वारा भवन निर्माण का शेष बचे कार्य की भुगतान राशि 3.00 (तीन लाख) रूपये का एम॰बी॰ मई 16 को अभियंता द्वारा तैयार करवाकर एवं अन्य प्रमाण पत्र के साथ जिला सहकारिता कार्यालय, पूर्णियाँ में जमा कराया गया । विभाग द्वारा प्राक्कलित राशि 10.20 लाख रूपये में से बकाये 3.00 (तीन लाख) रूपये की निकासी हेतु परिवादी (मो॰ आलम) द्वारा आपसे (श्री ठाकुर) मुलाकात कर रूपया निकासी का अनुरोध करने पर आपके (श्री ठाकुर) द्वारा 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये की माँग की गई । आपका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 17(5) (1) एवं 17 (6) के प्रतिकूल है ।	पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 1805/अप॰शा॰, दिनांक 10.08.16 एवं पत्रांक 1867/अप॰शा॰, दिनांक 18.08.2016
2॰	रिश्वत की माँग	दिनांक 27.07.16 को अपराह्न में परिवादी (मो॰ आलम) आपसे मिलकर बकाया 3.00 (तीन लाख) निकासी हेतु कहा जिसपर आपने (श्री ठाकुर) कहा ठीक है तैयार होकर आईये । इस पर परिवादी बोला कितना देना होगा तो आपके द्वारा 25,000/– (पच्चीस हजार) रिश्वत की माँग की गई जो कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) (i),(ii),(iii) के प्रतिकूल है, जिसके लिए आप दोषी हैं ।	तथैव

3॰	सरकारी कार्य में लापरवाही बरतना एवं कर्त्तव्य निर्वहन में कमी	परिवादी (मो॰ आलम) के आवेदन के आलोक में आपको उनके आवेदन को जाँचोपरान्त सत्यापन आदि कर नियमानुसार कार्रवाई करना चाहिए था, जबकि आपके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई न कर उनसे रिश्वत की माँग की गई । आपका यह कृत्य कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है ।	तथैव
4॰	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दिनांक 02॰08॰2016 को रू॰ 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना ।	आपके द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ के कार्यकाल में दुबौली पैक्स पूर्णियाँ में राईस मिल–सह–गैसीफायर के निर्माण की स्वीकृति में परिवादी मो॰ महबूब आलम, पिता–स्व॰ नजमूल हसन, ग्राम+पोस्ट–दुबौली, प्रखण्ड–डगरूआ, जिला–पूर्णियाँ पैक्स प्रबंधक दुबौली पैक्स प्रखण्ड, डगरूआ, जिला–पूर्णियाँ से भवन निर्माण का शेष बचे कार्य की भुगतान राशि तीन 3.00 (तीन लाख) की निकासी के एवज में 25,000/– (पच्चीस हजार) रिश्वत की माँग पर परिवादी द्वारा उसकी लिखित शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना से की गई । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा परिवादी से 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए आपको (श्री ठाकुर) रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा आपके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं॰–076/2016, दिनांक 03॰08॰2016, धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र॰नि॰ अधि॰–1988 दर्ज किया गया । आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) (i),(ii),(iii) के प्रतिकूल है, जिसके लिए आप दोषी हैं ।	तथैव

8/9/17

08.9.17

(राजेन्द्र राम),
सरकार के उप सचिव (निगरानी),
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना ।